फर्द अहकाम

वन्दना माहेश्वरी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

/2025

106/2025

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25	प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत् नक्शा ट्रेस तरमीम दुरूस्त का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम किशनपुरा उर्फ खातीपुरा, पटवार हल्का कपूरावाला, भू०अभि० नि० क्षेत्र मुहाना, तहसील – सांगानेर, जिला–जयपुर में आराजी कृषि भूमि हाल नया खाता संख्या 182 हिस्सा–पूर्ण, खसरा नम्बर–681 / 1 रकबा 0.5000 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 01 के पश्चिम दिशा में स्थित प्रार्थी संख्या 02 की कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 59 खसरा नम्बर 681 रकबा 0.8500 हैक्टेयर में स्थित है राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड ट्रेस नक्शा में प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड की जमांबदी खसरा नम्बर–681 / 1 रकबा 0.5000 हैक्टेयर अनुसार तरमीम गलत अंकित दर्ज कर दी, वर्तमान में राजस्व रिकार्ड ट्रेस नक्शा में प्रार्थी की भूमि प्रार्थी संख्या 02 के हक व हिस्से राजस्व रिकार्ड की जमांबदी खसरा नम्बर 681 रकबा 0.8500 मे तरमीम है। जिससे प्रार्थी संख्या 1 की उक्त खातेदारी कृषि भूमिं पश्चिम दिशा में रिकार्ड अनुसार सीमा चिन्ह पूर्ण नही होने पर प्रार्थीगण को काफि क्षति हानि कारित हो रही है। प्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त खातेदारी कृषि भूमि जमाबन्दी रिकार्ड अनुसार वर्तमान खाता संख्या 182 रकबा 0.5000 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि का दिनांक 30 जनवरी 2013 को विकय पत्र जरिये वेद प्रकाश से कय की थी जिसके उपरान्त विक्रय पत्र के आधार तहसीलदार सांगानेर द्वारा उक्त कृषि भूमि नामान्तरण प्रार्थी हक व हिस्से खोला गया। प्रार्थी संख्या 01 के पश्चिम दिशा में बतौर खातेदार काश्तकार प्रार्थी संख्या 02 झूथी देवी पत्नी स्व. श्री कालूराम जिसके वर्तमान खाता संख्या 59 खसरा नम्बर 681 रकबा 0.8500 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। प्रार्थी संख्या 01 की भूमि के पश्चिमी दिशा में प्रार्थी संख्या 02 की खातेदार काश्तकार भूमि का खसरा नम्बर 681 रकबा 0.8500 हैक्टेयर अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम अधिक ऐयर दर्ज है, तथा प्रार्थीगण मौके की भूमि पर अपने–अपने स्थान पर काबिज काश्त है, प्रार्थीगणों की आपसी सहमति से उक्त कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 01 की भूमि वर्तमान खाता संख्या 182 खसरा नम्बर 681 / 1 रकबा 0.5000 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 02 की भूमि वर्तमान खाता संख्या 59 खसरा नम्बर 681 रकबा 0.8500 हैक्टेयर अनुसार ....लगातार	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ना पत्र संख्या /2025

30.01.2025	प्रार्थीगणो की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड जमांबदी रकबा अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड ट्रेस नक्शा मे प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी खसरा नम्बर–681/1 रकबा 0.5000 हैक्टेयर अनुसार तरमीम गलत अंकित दर्ज कर दी, वर्तमान राजस्व रिकार्ड ट्रेस नक्शा में प्रार्थी की भूमि प्रार्थी संख्या 02 के हक व हिस्से राजस्व रिकार्ड की जमांबदी खसरा नम्बर 681 रकबा 0.8500 मे तरमीम है। प्रार्थी संख्या 01 के पश्चिम दिशा में बतौर खातेदार काश्तकार प्रार्थी संख्या 02 झूथी देवी पत्नी स्व. श्री कालूराम जिसके वर्तमान खाता संख्या 59 खसरा नम्बर 681 रकबा 0.8500 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। प्रार्थी संख्या 01 की भूमि के पश्चिमी दिशा में प्रार्थी संख्या 02 की खातेदार काश्तकारी भूमि का खसरा नम्बर 681 रकबा 0.8500 हैक्टेयर अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम अधिक ऐयर दर्ज है प्रार्थीगणों की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड जमांबदी रकबा अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विक्रय पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकांर किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम – किशनपुरा उर्फ खातीपुरा, पटवार हल्का कपूरावाला, भू०अभि०नि० क्षेत्र–मुहाना, तहसील– सांगानेर, जिला–जयपुर में आराजी कृषि भूमि हाल नया खाता संख्या 182 हिस्सा–पूर्ण, खसरा नम्बर–681/1 रकबा 0.5000 हैक्टेयर तथा खाता संख्य I 59 खसरा नम्बर 681 रकबा 0.8500 हैक्टेयर में स्थित प्रार्थीगणों की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमांबदी रकबा अनुसार हाल नक्शा ट्रेस में तरमीम शुद्धि/दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फर्द अहकाम

वन्दना माहेश्वरी व अन्य बनाम राज० सरकार

/2025

	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष
3/25	प्रकरण में तहसीलदार सांगानेर से आदेश की पालना के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है क्योंकि प्रार्थीगण उपस्थित वास्ते ओर TDR रिपोर्ट हेतु दि० 16/5/25 को पेशी। उपखण्ड अधि० (सांगानेर)	
16/4/25	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/4/25 को पेश हों।	
25/4/25	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 08/5/2[illegible] को पेश हों।	
8/5/25	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/[illegible] को पेश हों।	
9/5/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी [illegible] TDR सांगानेर से प्राप्त मौका [illegible] बहस सुनी गई। मौके रिपोर्ट [illegible] राजस्व रिकार्ड अनुसार/जमा[illegible] मौके पर काबिज अनुसार [illegible] दुरुस्त किये जाने के आदेश [illegible] निर्णय पृथक से लिखाया जा[illegible] नम्बर से कम होकर बाद त[illegible]	